संख्या-160/2018/2349/26-3-2018

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 19 जुलाई 2018

विषय:- **रिट याचिका संख्या-17283/एम0एस0/2018 श्रीमती महादेवी महाविद्यालय, सुलतानपुर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के अन्तर्गत पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.07.2018 के अनुपालन में धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1362-63/स.क./शिक्षा-अ/01/1009/2018-19, दिनाक-10.07.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या-17283/ एम0एस0/2018 श्रीमती महादेवी महाविद्यालय, सुलतानपुर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के अन्तर्गत पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.07.2018 के अनुपालन में सम्यक्विचारोपरान्त याची शिक्षण संस्था श्रीमती महादेवी महाविद्यालय, सुलतानपुर के अनुसूचित जाति छात्रों की वर्ष 2017-18 में अध्ययनरत् रहे 133 छात्रों की ट्रान्जेक्शन फेल की धनराशि बैंक खाता बंद हो जाने के कारण सम्बन्धित छात्रों के दूसरे खातों में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की नियमानुसार देय वास्तविक धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-80 के योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी है, से व्यय/भुगतान की अनुमति राज्यपाल महोदय इस शर्त के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कुल व्यय को बजट प्राविधान की सीमा में समायोजित रखा जाना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव।

पृ.संख्या- 160/2018/2349(1)/26-3-2018 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी, सुलतानपुर।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु साचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।